दुकानों की नीलामी की सूचना व शर्तों का प्रारूप
पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला

दुकानों की सार्वजनिक नीलामी

नीलामी नोटिस न:- पी0एल0डब्ल्यू0/डब्ल्यू0/सिविल/शॉप/2016/भाग-I

दिनांक: 28.02.2024

भारत के राष्ट्रपति की ओर से पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला की कॉलोनी - II के शॉपिंग काम्प्लेक्स की निम्नलिखित दुकानों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक **27.03.2024** को उप मुख्य अभियंता, पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला के कार्यालय, पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला में की जाएगी।

दुकानों का विवरण:-

क्र0 सं0	दुकान सं0	स्थान	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	आरक्षित मासिक किराया (रू०)	धरोहर राशि (पांच वर्षों के लिए) (रू०)
1.	4	कॉलोनी न.– II	25.31	2227.00	3000/-
2.	6	कॉलोनी न.– II	45.86	4035.00	5000/-
3.	7	कॉलोनी न.– II	6.24	549.00	1000/-
4.	10	कॉलोनी न.– II	25.31	2227.00	3000/-
5.	11	कॉलोनी न.– II	45.86	4035.00	5000/-
6.	13	कॉलोनी न.– II	2.56	225.00	500/-
7.	14	कॉलोनी न.– II	45.86	4035.00	5000/-
8.	31	कॉलोनी न.– I	14.45	1271.00	2000/-
9.	32	कॉलोनी न.– I	14.45	1271.00	2000/-

शॉपो का विवरण तथा नीलामी के लिए शर्ते, निर्धारित निवदेन प्रोफार्मा के साथ या तो पी0 एल0 डब्ल्यू/पटियाला की वेबसाईट **www.plw.indianrailway.gov.in** से निशुल्क डाउनलोड किए जा सकते है अथवा उप0 मुख्य0 अभियंता/पी0एल0डब्ल्यू/पटियाला के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को दिनांक **26.03.2024** तक **10:00** बजे से **16:00** बजे तक तथा दिनांक **27.03.2024** को **11:00** बजे तक काउंटर पर **1000**रू० (एक हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैंक जो कि **PFA/PLW/PATIALA** के पक्ष में बना हुआ हो, प्रस्तुत करके आवेदन पत्र खरीद सकते है। यदि नीलामी का फार्म डाक द्वारा मंगवाना है तो रू० 500/- (पांच सौ मात्र) अधिक पोस्टल चार्ज के रूप में जमा करने होगे।

नीलामी के फार्म प्राप्त करने का अंतिम दिनांक **27.03.2024** को **11:00** बजे तक है और दिनांक **27.03.2024** को **15:30** वजे नीलामी की जाएंगी। उपरोक्त दिनांक तथा समय के बाद प्राप्त होने वाले निवेदन मान्य नहीं होंगे। निवदेन पत्रों का मूल्य वापिस नहीं किया जाएगा।

लाइसेंस का समय :- **05** साल

सार्वजनिक नीलामी की तारीख:- **27.03.2024** को **15:30** बजे

यह नीलामी नोटिस पी0 एल0 डब्ल्यू0/पटियाला की वेबसाईट **www.plw.indianrailway.gov.in** पर भी उपलब्ध है

4.3.24

उप मुख्य अभियंता,
पी0 एल0 डब्ल्यू0/पटियाला,
कृते भारत के राष्टपति की और से तथा उनके वास्ते।

Scanned with AnyScanner

दुकानों की नीलामी की सूचना व शर्तों का प्रारूप

पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला

शॉपिंग काम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी की सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला के शॉपिंग काम्प्लेक्स की निम्नलिखित दुकानों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 27.03.2024 को उप मुख्य अभियंता, पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला के कार्यालय, पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला में की जाएगी।

दुकानों का विवरण:-

क्र0 सं0	दुकान सं0	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	आरक्षित मासिक किराया (रू0)	धरोहर राशि (पांच वर्षों के लिए) (रू0)
1.	4	25.31	2227.00	3000/-
2.	6	45.86	4035.00	5000/-
3.	7	6.24	549.00	1000/-
4.	10	25.31	2227.00	3000/-
5.	11	45.86	4035.00	5000/-
6.	13	2.56	225.00	500/-
7.	14	45.86	4035.00	5000/-
8.	31	14.45	1271.00	2000/-
9.	32	14.45	1271.00	2000/-

दुकानों के आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है:

1. दुकानों में क्या व्यवसाय किया जायेगा इसकी स्वतंत्रता बोलीदाता को होगी, परन्तु रेलवे से पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा प्रतिबंन्धित व्यवसाय या नियम विरूद्व व्यवसाय की अनुमति नही दी जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले सभी इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों को किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक से PFA/PLW/PTA, Payable at Patiala के पक्ष में जारी उपर्युक्त तालिका में दर्शायी गई धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक उप मुख्य अभियंता, पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला के कार्यालय में जमा करना होगा तथा उसी के साथ एक आवेदन पत्र दो प्रतियों में देना होगा। जिसमें बोली कर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम, प्रोपाइटर का नाम व आधार कार्ड संख्या, पता, दुकान संख्या, दुकान का नाम तथा बोली कर्ता के अन्य आवश्यक विवरण दिये गए हों नीलामी की तिथि से एक सप्ताह पूर्व 12:00 बजे अपराहन से पहले जमा करना होगा तथा साथ में आधार कार्ड की प्रतिलिपी संलग्न करनी होगी। बोली कर्ता को स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अधिकार होगा। असफल आवेदकों को आवेदन की रसीद प्रस्तुत करने पर डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। आवेदन प्रपत्र का प्रारूप संलग्न है।
3. किसी भी परिस्थिति में धरोहर राशि/प्रवेश शुल्क नकद नही लिया जायेगा।
4. धरोहरराशि की जांच के उपरान्त बोली दाताओं की सूची जारी की जायेगी, तथा उसी दिन अपराहन 15:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
5. जमानत राशि की जांच के उपरान्त बोली दाताओं की सूची जारी की जायेगी, तथा उसी दिन अपराहन 15:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
6. नीलामी एवं अनुबंध की विस्तुत विवरण/नियम एवं शर्तें पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला की बेबसाइट www.plw.railway.gov.inएवं उप मुख्य अभियंता, पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला के कार्यालय में देखी जा सकती है।

हस्ताक्षर 27.2.24

Scanned with AnyScanner

इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त दुकानों के सम्बन्ध में कोई भी विवरण नीलामी की तिथि से तीन दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यों के घंटे के दौरान 11:00 बजे से 13:00 बजे तक देख सकते हैं।

8. प्रत्येक बोली कर्ता को नीलामी शुरू होने से पहले नीलामी द्वारा आवंटन की शर्तों को समझ लेना चाहिए बाद में किसी गलत फहमी या उसमें उल्लेखित किसी शर्त की अज्ञानता के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जायेगा।

9. बोली पीठासीन अधिकारी/उप मुख्य अभियंता, पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला को नीलामी के दौरान यह अधिकार होगा कि नीलामी को सुचारू रूप से होने में बाधा और व्यवधान उत्पन्न करने वाले बोली दाता को परिसर से बाहर निकल जाने का निर्देश दे सकता है। इस सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसे मामले में प्रशासन को सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लेने की पूरी छूट रहेगी।

10. नीलामी के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रत्येक व्यक्ति को उप मुख्य अभियंता, पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला द्वारा रखी गई बोली दाता की सूची पर पूरा नाम एवं सही डाक पता लिख कर हस्ताक्षर करना होगा एवं आवंटन की शर्तों की प्रति लेनी होगी। उनके हस्ताक्षर से आशय यह भी होगा कि उनके द्वारा आवंटन की शर्तों की उपर्युक्त प्रति प्राप्त कर ली गयी है और शर्तों की पूरी जानकारी हो गई है।

11. सक्षम प्राधिकारी नीलामी सूचना तथा लाइसेन्स के अनुबंध में लिखित सभी खण्डों को शामिल करते हुए सफल बोली कर्ता को स्वीकृति पत्र जारी करेंगे। प्रशासन बिना किसी कारण बताये बोली को अस्वीकार कर सकता है एवं रेलवे प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

12. नीलाम की गई दुकानों की मासिक लाइसेंस शुल्क/किराया की बेसिक वैल्यू के लिए की जायेगी। समय - समय पर लागू जी.एस.टी. या अन्य टैक्स इसके अतिरिक्त देय होगें। सबसे अधिक नीलामी की बोली बोलने वाले बोली कर्ता को बोली गई राशि के बारह गुना धनराशि के बराबर की जमानत राशि जमा करनी होगी जिसमें धरोहर राशि समायोजित की जा सकती है। वांछित जमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक बोली समाप्ति के बाद दो कार्य दिवसों के अन्दर अनुबंध जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। बोली के समय सफल बोली कर्ता की धरोहर राशि को अनुबंध की जमानत राशि के रूप में समायोजित माना जायेगा।

13. इसके अतिरिक्त बोली की तिथि से सात दिनों के भीतर तीन माह का अग्रिम किराया (उच्चतम बोली के तीन गुना धनराशि, जी.एस.टी. या अन्य देय टैक्सों के साथ) का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक PFA/PLW/PTA, Payable at Patiala के पक्ष में जमाकर 15 दिनों के अन्दर अनुवंधहस्ताक्षर करना होगा। जमानत राशि एवं अग्रिम किराया भुगतान समय पर जमा न करने की स्थिति में बोली से पूर्व जमा की गयी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14. दुकानों का किराया प्रत्येक तिमाही के प्रारम्भ में अग्रिम रूप में जमा किया जाना है।यह किराया समय से जमा न किये जाने की स्थिती में प्रतिमाह एक प्रतिशत (01%) की दर से विलम्ब शुल्क के साथ 6 माह के अन्दर किराया जमा किया जा सकता है। 6 महीने से अधिक का विलम्ब होने पर दुकान का लायसेंस निरस्त करने के लिए पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला प्रशासन स्वतंत्र होगा।

15. आवंटित दुकान में किस प्रकार का व्यवसाय किया जाना है इसका पूर्ण विवरण अनुबंध से पूर्व उच्चतम बोलीदाता को पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

16. व्यवसाय की अनुमति व अनुबंध होने के उपरांत एक माह के अन्दर दुकान बोलीदाता को हस्तांतरित की जायेगी एवं दुकानों के किराये की वसूली हस्तांतरण की तिथी से प्रभावी मानी जायेगी।

17. दुकानों के अनुवंध हेतु आवश्यक स्टाम्प पेपर का खर्च आवंटी के द्वारा वहन किया जायेगा।

18. उक्त अनुबन्ध पत्र के समस्त खण्डों की विषय वस्तु को उप मुख्य अभियंता, पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला ।कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में 11:00 बजे से 13:00 बजे तक देख जा सकता है। यह अनुबन्ध नीलामी की शर्तो का एक भाग होगा। आवंटी को पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला प्रशासन की सन्तुष्टि तक इन शर्तो को मानना होगा।

27.2.24

Scanned with AnyScanner

19. इन दुकानों का लाइसेन्स अनुबंध आगामी पाँच वर्षों (05 years) की अवधि के लिए होगा। आवंटी अनुबंध में दिये गये लाइसेंस शुल्क को तिमाही किस्तों में भुगतान करने एवं शर्तों के अनुपालन के लिए बाध्य होगा। उपरोक्त अनुबन्धित लाइसेन्स शुल्क, जी.एस.टी. एवं अन्य करों के साथ प्रत्येक तिमाही के प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा। किराया प्रति वर्ष 6% की दर से बढ़ाया जाएगा।

20. यदि उच्चतम बोली कर्ता अनुबंध करने के बाद कब्जा लेने में असफल रहता है, तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा व जमानत राशि तथा किराया जब्त कर लिया जायेगा।

21 यदि किसी कारण प्रशासन आवंटी को दुकान, अनुबंध के बाद समय पर उपलब्ध नहीं करा पाता है तो इस पर आवंटी किसी भी हानि का दावा नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा मांग किए जाने पर जमा की गई जमानत राशि वापस कर दी जायेगी। परन्तु जमा की गईराशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज या हर्जाना नहीं दिया जायेगा। ऐसे सभी मामलों में पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला प्रशासन के सभी निर्णय अन्तिम होंगे और आवंटी को मान्य होंगे।

22 दुकान आवंटित होने के उपरांत नामित दुकानदार को/या उसके द्वारा नामित सदस्य के नाम से इस कार्यालय द्वारा पहचान पत्र बनेगा, जिसे निरीक्षण के दौरान दिखाना होगा। किसी भी दशा में आबंटित दुकान की Subletting (किराये पर देना) नहीं की जायेगी, जाँच उपरांत पकड़े जाने पर संबंधित दुकान का आबंटन बिना किसी पूर्व सूचना के पटियाला रेल इंजन कारखाना, पटियाला प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

23 इस सम्बन्धं में रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी आदेश लागु होंगे।

24 आवेदक निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी वैकल्पिक उपयोग या दुकान में अन्य सामान की बिक्री के लिए बोली दे सकता है:

(क) कसाई की दुकान

(ख) मादक पेय की दुकान

(ग) विस्फोटक पदार्थों की दुकान

(घ) किसी भी प्रकार की विनिर्माण गतिविधि जब तक कि बिक्री से भी जुड़ी न हो।

या

(च) प्रभारी अभियंता द्वारा वांछनीय नहीं माना जाने वाला कोई अन्य व्यापार।

25. As per Railway Board letter No. 2021/LML/25/5 dated 04.10.2022, Note 3.1 (a) "For existing shops on railway land where license has expired or not yet renewed: These shops will be auctioned for grant of license at reserve price. However, existing licensee/owner will have the right of first refusal. The rent shall be increased @ 6% per year. The license will be given for maximum tenure of 5 years."

(हस्ताक्षर) 27.2.24
उप मुख्य अभियंता,
पटियाला रेल इंजन कारखाना,
पटियाला.

Scanned with AnyScanner

पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला
शॉपिंग काम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी में बोली लगाने हेतु
आवेदन पत्र

बोली कर्ता व्यक्ति/फर्म का नाम व आधार कार्ड संख्या	
प्रोपाइटर का नाम व आधार कार्ड संख्या	
संम्पूर्ण पता, डाक सहित	
मोबाईल नं0	
दुकान संख्या	
दुकान का नाम	
धरोहर राशि का विवरण	
निलामी तिथि	

मै निम्न हस्ताक्षर कर्ता प्रमाणित करता/करती हूँ कि दुकानों की निलामी सूचना मेरे द्वारा भली भाति तरीके से पढ ली गयी है तथा मुझे निलामी की समस्त शर्ते मान्य है।

हस्ताक्षर बोलीकर्ता..

नाम...

तिथि ....

Scanned with AnyScanner